न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/99

1. किशोरी लाल पुत्र मथुरा लाल जाति मीणा आयु 75 वर्ष ।
2. छोटू लाल पुत्र मथुरालाल जाति मीणा आयु 70 वर्ष निवासीगण झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. ललिता बाई पुत्री श्री हीरालाल जाति महाजन निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन ।
3. प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक शाखा झालावाड रोड, कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/100

ललिता बाई पुत्री श्री हीरालाल जाति महाजन निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. किशोरी लाल पुत्र मथुरा लाल जाति मीणा आयु 75 वर्ष ।
2. छोटू लाल पुत्र मथुरालाल जाति मीणा आयु 70 वर्ष निवासीगण झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन ।
4. प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक शाखा झालावाड रोड, कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अशोक गुप्ता अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 2022/99 में एवं अपील संख्या 2022/100 में रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से अपील संख्या 2022/99 में एवं अपील संख्या 2022/100 में अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय **दिनांकः 23.12.2022**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे । प्रकरण को लिखने व समझने की दृष्टि से प्रस्तुत अपीलों में किशोरी लाल व छोटू लाल को वादी अपीलान्ट एवं ललिता बाई को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट किशोरी लाल एवं छोटू लाल ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 2885 रकबा 2.04 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खाते दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि सन् 1971 के आस–पास से ही वादीगण के निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही है । इस प्रकार वादीगण उक्त भूमि के एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार बन चुके हैं । गत 40 वर्षों से उक्त भूमि पर प्रतिवादी कम 01 का कभी कब्जा नहीं रहा है । प्रतिवादी कम 01 ने वादीगण से पैसे लेकर अपने स्वत्व वादीगण के पक्ष में छोड दिये थे । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे स्वयं को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करावें ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी कम 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित कर उनके स्थान पर वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2010 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी कम 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित करने के आदेश पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.2010 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 ललिता बाई ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 09.07.2012 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से

स्वीकार कर अपीलान्ट को जवाबदावा साक्ष्य एवं दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किये जाने के आदेश पारित किये ।

6. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2012 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.06.2015 के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी में राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टि होना अंकित है तथा पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 19.082015 को नियत की गई ।

7. तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

8. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.04.2022 के द्वारा वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज करने की डिक्री पारित की ।

9. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2022 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट दोनों ने न्यायालय हाजा में अलग–अलग अपील प्रस्तुत कर अपनी–अपनी अपील स्वीकार करने का कथन किया ।

10. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

11. अपील संख्या 2022/99 में वादीगण अपीलान्ट किशोरी लाल व छोटूलाल के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण द्वारा एक वाद अधिकार घोषणा का इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी पर उनका गत 50 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादीगण खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी के कानूनी प्रावधान आदेश 14 नियम 5 की पालना किये बिना तनकीयात पर पूर्ण रूप से निष्कर्ष दिये बिना ही निर्णय पारित कर दि या । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रमुख दस्तावेजी साक्ष्य तथा रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम से यह पूर्णरूपेण साबित हो चुका था कि वर्ष 1971 से उक्त आराजी पर अपीलान्ट काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपधारा 03 के अनुसार समस्त अधिकार रेस्पोडेन्ट कम 01 के समाप्त हो चुके हैं तथा ऐसी सम्पत्ति पर अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार दिये जाने चाहिए थे । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 01 का जो निर्णय पारित किया है उसमें अपीलान्ट द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर वादपत्र को साबित माना है तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य वादीगण का ही उक्त सम्पतित पर स्वत्व व अधिकार माना गया लेकिन मात्र एडवर्स पजेशन को आधार बताकर वादपत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियों पर आई साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालते हुए प्रत्येक तनकी का अलग–अलग निर्णय विस्तृत रूप से पारित न करके भारी त्रुटि की है, जबकि माननीय राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड ने यह दिशा–निर्देश पारित कर रखे हैं कि प्रत्येक तनकी का निर्णय

विस्तृत रूप से साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए तथा सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार निर्णय में तनकियों का विस्तृत विश्लेषण व विवेचन कर निर्णय पारित नहीं किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में यह सुस्थापित स्थिति है कि सम्पत्ति पर वर्ष 1971 से अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है तथा धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था तथा अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल नहीं किया जा सकता । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि हमने कोई तथ्य छुपाया नहीं है तथा हम क्लीन हैण्ड से न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी के जवाबदावे मय काउन्टर क्लेम के पैरा संख्या 03 एवं 05 में हमारा कब्जा माना है । अधीनस्थ न्यायालय ने एडवर्स पजेशन हमारा माना है तो हमे खातेदारी नहीं देने में भारी भूल की है । दौराने अपील मैने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत एक एफ0आई0आर0 की कापी एवं कुछ रसीदें पेश की हैं जिससे हमारा कब्जा सिद्ध है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2022 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2016 (2) पेज 1398 उद्धृत की ।

12. अपील संख्या 2022/100 में प्रतिवादी कम 01 अपीलान्ट ललिता बाई (जिसे प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कहा गया है) के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में परीक्षण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालाफाना के आधार पर हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादी अपीलान्ट ने उक्त वाद का विरोध किया और जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया । परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दोनों खारिज कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर सन् 1971 के आस–पास से दावा दायरी की दिनांक एवं वाद के निर्णय तक लगातार कब्जे के सम्बन्ध में कोई भी सम्पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगान व सिंचाई की रसीदें पेश हुई थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगान व सिंचाई की जो रसीदें पेश हुई थी उनसे भी यह कहीं भी साबित नहीं था कि अपीलान्ट की उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 का कब्जा काश्त हो । रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत लगान व सिंचाई की रसीदे अपीलान्ट की भूमि से सम्बन्धित नहीं थी । कानून का सिद्धान्त स्पष्ट है कि लगान व सिंचाई की रसीदें किसी भी भूमि पर कब्जे की सम्पुष्टिकारण साक्ष्य नहीं मानी जा सकती फिर भी परीक्षण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत लगान व सिंचाई की असम्बन्धित रसीदों के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर रेस्पोडेन्ट का प्रतिकूल कब्जा मानने और उक्तानुसार तनकीयात तय करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है और उस पर अपीलान्ट का ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपने कब्जे काश्त के सम्बन्ध में सिंचाई रसीदात, लगान रसीदात, खसरा गिरदावरी व राजकीय विभाग द्वारा जारी निरीक्षण प्रपत्र, प्रदर्श–ए–10, ए–11 तथा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किये थे, जिससे वादग्रस्त आराजी के मौके पर अपीलान्ट का निरन्तर वर्तमान तक कब्जा काश्त प्रमाणित था । इसके अलावा भू–सुधार कार्य के दौरान उक्त भूमि पर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपीलान्ट से ही कब्जा लिया गया था और अपीलान्ट को ही कब्जा सुपुर्द

किया गया था । स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का मौके पर कब्जा काश्त मानकर अपीलान्ट को पुलिस इमदाद मुहैया कराने का ओदश भी जारी किया गया था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय गलत एवं गैरकानूनी तरीके से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तु दस्तावेजी साक्ष्य को व स्वयं के पूर्व आदेश को सर्वथा नजर अंदाज कर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कसी अन्य खेत की वर्ष 1981–82 की लगान व सिंचाई की रसीद के आधार पर उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट वादी का प्रतिकूल कब्जा मानने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है । वादीगण द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी की भूमि पर अपना पुराना कब्जा बताकर वाद पेश किया है । राजस्व विभाग द्वारा कायम की जाने वाली खसरा गिरदावरी में कब्जेधारी का नाम भी अंकित किया जाता था किन्तु रेस्पोडेन्ट वादी द्वारा उक्त भूमि पर तत्समय की कोई भी खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है न ही किसी सम्पुष्टिकारक साक्ष्य से अपना कब्जा काश्त प्रमाणित किया है । प्रस्तुत प्रकरण में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 26.11.2018 व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपना निर्णय दिनांक 24.06. 2019 में यह फाईण्डिग दी है कि वादी द्वारा जिस समयावधि में अपना कब्जा काश्त बताया जा रहा है उस समयावधि में खसरा गिरदावरी में कब्जेधारी का नाम अंकित किया जाता था किन्तु वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा उस समय की कोई भी गिरदावरी पेश नहीं की है । प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को समझने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है प्रतिकूल कब्जे के लिए पक्षकार को यह बताना आवश्यक है कि वे किस दिन व दिनांक को वादग्रस्त भूमि के कब्जे में आया है और किस दिनांक को स्वत्वधारी खातेदार ने वादी से कब्जा मांगा और कब किस दिनांक को स्वत्वधारी खातेदार को कब्जा देने से मना कर दिया क्योंकि जिस दिन स्वत्वधारी खातेदार को वादी द्वारा कब्जा देने से मना किया जाता है उसी दिन से वादी का कब्जा प्रतिकूल होता है और इंकारी की उसी दिनांक से 12 वर्ष की प्रतिकूल कब्जे की मियाद आरम्भ होती है । वादी द्वारा अपने वादपत्र में ऐसे कोई भी अभिवचन अंकित नहीं किये हैं न ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि वादी किस दिन व दिनांक को वादग्रस्त भूमि के कब्जे में आया और किस दिन व दिनांक को प्रतिवादी द्वारा वादी से कब्जा मांगा गया और किस दिन व दिनांक से वादी द्वारा प्रतिवादी को कब्जा देने से इंकार किया गया एवं किस दिन व दिनांक को वादी का कब्जा प्रतिवादी के विरूद्ध प्रतिकूल हुआ फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आवश्यक अवयवों के संदर्भ में अभिवचन व साक्ष्य न होते हुए भी अपीलान्ट की भूमि पर प्रतिकूल कब्जा मानने में गंभीर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी रूप से अपीलान्ट की उक्त भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को कब्जा से वंचित करने की फाइण्डिंग देने और अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि के संदर्भ में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही लाने की फाईडिंग देकर प्रतिकूल कब्जा मानने में त्रुटि की है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट के कब्जे काश्त में रेस्पोडेन्ट व्यवधान उत्पन्न करने पर आमदा रहते हैं । जिसके संदर्भ में अपीलान्ट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है जिसे स्वयं रेस्पोडेन्ट स्वीकार करता है । अपीलान्ट द्वारा अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर रेस्पोडेन्ट कम 4 एचडीएफसी बैंक से लोन भी प्राप्त किया है । वादी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.04.2010 को एक पक्षीय निर्णय की आड में कुछ दिन के लिए गलत रूप से रिकॉर्ड अपने पक्ष में अंकित करवा लिया तथा उस गलत रिकॉर्ड के आधार पर कुछ दस्तावेज उत्पन्न करने का प्रयास किया । पत्रावली रिमाण्ड होने पर मेरे द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया । अतः मैने जानकारी प्राप्त होने पर अवसर मिलते ही काउन्टर क्लेम पेश किया । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मेरे जवाब मय काउन्टर क्लेम की मद संख्या

03 व 05 का विवेचन इस प्रकार किया है कि कि जैसा कि मैने उक्त भूमि पर उनको कब्जा संभला दिया हो । यहॉ स्पष्ट करना आवश्यक है कि जवाब मय काउन्टर क्लेम की मद संख्या 03 व 05 में कहीं भी हमने उक्त भूमि पर कब्जा छोडने एवं वादी को कब्जा संभलाने का कोई कथन नहीं किया । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खुदकाश्त खातेदार स्वयं भी कृषि कार्य कर सकता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति से भी करवा सकता है । खातेदार द्वारा अपनी भूमि पर किसी और से कृषि कार्य करवाने पर उसे कब्जा दिया जाना नहीं माना जा सकता । जिस तरह सिंचाई की रसीदें पेश की गई हैं उनमें जो भूमि अंकित है वह विवादित भूमि नहीं है । साथ ही मेरे द्वारा भी सिंचाई विभाग की रसीदें पेश की गई हैं । प्रदर्श– 11, 12 व प्रदर्श– 14 का जो आधार अधीनस्थ न्यायालय ने लिया है उनका विवादित भूमि के संदर्भ में कोई रिलेवेन्स एवं औचित्य नहीं है । केवल कुछ रसीदें जिनमें अंकित भूमि स्पष्ट नहीं हो उनके आधार पर सन् 1981 से लगातार कब्जा मान लेने में अधीनस्थ न्याालय ने गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है । समान्यतः किसी कृषि वर्ष में किसी खातेदार द्वारा कई बार भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः पांती पर दी जाती है परन्तु इससे खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते । अधीनस्थ न्यायालय ने जो डिक्री पारित की है वह विधिक पर्याप्त एवं जैन्यून (Genuine) दस्तावेज के आधार पर नहीं हैं । तनकी नम्बर 05 का विवेचन व निर्णय देखने से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया है, जबकि मैने कभी वादीगण का कब्जा माना ही नहीं । मैं प्रारम्भ से मेरे कब्जे का कथन कर रहा हूँ तथ ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा बेदखली की कार्यवाही क्यों की जावेगी ? अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि सामान्य समझ से परे है कि मैने वादी द्वारा सन् 2010 में वाद प्रस्तुत करने पर वाद के निर्णय तक बेदखली की कार्यवाही नहीं की है । एडवर्स पजेशन तभी होगा जब मेरे द्वारा कभी वादी से कब्जा मांगा गया हो तथा वादी ने कब्जा देने से इंकार कर दिया हो, मैं स्वयं कब्जे में हूँ । अतः मेरे द्वारा कभी कब्जा मांगा ही नहीं गया है । वादी बदनियति से मेरे कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करता है । अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद अधिनियम की धारा 63 की कोई फाइडिंग नहीं दी फिर कैसे एडवर्स पजेशन माना है । इनके द्वारा भी इस न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी विवादित भूमि को क्रय करना बताया है । इसे एडवर्स पजेशन माना जावेगा अथवा परमिजिव पजेशन माना जावेगा ? वादी इस संदर्भ में स्वयं उहापोह की स्थिति में है, जबकि हमारा लगातार कथन यह रहा है कि खातेदार की हैसियत से प्रारम्भ से ही भूमि पर सभी अधिकार कब्जा हमारा रहा है । वादी ने अधीनस्थ न्यायालय मे भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे प्रश्नगत भूमि पर इनका लगातार कब्जा काश्त हो । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने में विधिक, एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं सारहीन है । अधीनस्थ न्यायालय ने न तो प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्यों का सही विवेचन किया और न ही न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किया । प्रतिवादी अपीलान्ट ललिता बाई ने अपने जवाबदावे व काउन्टर क्लेम को बखूबी साबित किया है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष कुछ नवीन सत्यापित राजकीय दस्तावेज पेश किये हैं जिनके आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.2022 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में सीसीसी 2006 (1) पेज 198, सीसीसी 2018 (1) पेज 282, सीसीसी 2016 (4) पेज 01, सीसीसी 2016 (4) पेज 197, आरआरडी 2011 पेज 508, आरबीजे 2006 (13) पेज 18, आरबीजे 2006 (13) पेज 452 उद्धृत किये।

13. रिबटल में विद्वान् अभिभाषक वादीगण अपीलान्ट किशोरी लाल एवं छोटूलाल ने कथन किया कि हमारा कब्जा प्रतिवादी के जवाबदावे की मद संख्या 03 व 05 से स्पष्ट है । अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय के आधार पर स्वयं का कब्जा बताने का प्रयास प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा किया गया है परन्तु अस्थायी निषेधाज्ञा का कोई प्रभाव गुणावगुण के आधार पर उक्त निर्णय पर नहीं पडेगा । यदि ये मेरा परमिजिव पजेशन बताते हैं तो यह प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सिद्ध करें । प्रारम्भ से भूमि पर मेरा कब्जा है । अतः मेरी अपील संख्या 2022/99 में स्वीकार फरमाई जावे ।

14. अपील संख्या 2022/99 में रेस्पोडेन्ट (ललिता बाई) के विद्वान् अभिभाषक ने अपील अपीलान्ट संख्या 2022/99 खारिज करने का कथन किया । इसी प्रकार अपील संख्या 2022/100 में रेस्पोडेन्ट (किशोरी लाल एवं छोटूलाल) के विद्वान् अभिभाषक ने अपील संख्या 2022/100 खारिज करने का कथन किया ।

15. प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ललिता बाई (अपीलान्ट अपील संख्या 2022/100 में) ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया । वादी अपीलान्ट ने कथन किया कि यह दस्तावेज पूर्व में क्यों प्रस्तुत नहीं किये । इसका कोई कारण प्रतिवादी अपीलान्ट ने नहीं बताया तथा इस स्तर पर इन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाए ।

16. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में असल पास–बुक दिनांक 16.05.1972 खातेदारी, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2064–2067, 2060–2062, 2060–63 की प्रमाणित प्रतियॉं, रसीद नकल सिंचाई, 22.05.2022 एवं 23.05.2022, नकल सिंचाई खतौनी संवत् 2072 की प्रमाणित प्रति है जिसके अनुसार ललिता के पक्ष में खसरा नम्बर 2885 की संवत 2072 से 2077 तक की सिंचाई कर राशि जमा है, नकल सिंचाई खतौनी संवत् 2073, 2074 लगायत 2077 संलग्न है जिसमें कृषक का नाम ललिता पुत्री हीरालाल दर्ज है, असल नोड्यूज सिंचाई विभाग, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बून्दी, आदेश पुलिस इमदाद दिनांक 11.06.2020, फर्द इंखलाफ कैचमेंट वर्ष 2003–04 पेश किये हैं जिसके कॉलम संख्या 02 में ललिता पुत्री हीरालाल महाजन खातेदार दर्ज है। भूमि पुनःग्रहण हेतु नोटिस द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी कम तहसीलदार सीएडी के अनुसार खसरा नम्बर 2885 रकबा 2.04 हैक्टर की भूमि खातेदार ललिता पुत्री हीरालाल महाजन को कब्जा संभलाये जाने का अंकन है । उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज हैं । उक्त दस्तावेज राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग आदि द्वारा जारी हैं । उक्त दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धित सत्यापित दस्तावेज हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में प्रकरण में सही निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

17. इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना पत्र वादीगण अपीलान्ट किशोरी लाल एवं छोटू लाल ने न्यायालय हाजा में आदेश 41 नियम 27 का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न

दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया । विद्वान् अभिभाषक प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त दस्तावेज असत्यापित तथा मात्र कुछ अपठनीय फोटो कॉपी है जिन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाए ।

18. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में फोटो प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फोटो प्रति जल संसाधन आदि पेश किये हैं । उक्त दस्तावेज हालांकि फोटो प्रतियॉ हैं, इसमें से कुछ रसीदों की फोटो प्रतियॉ स्पष्ट नहीं होने से अपठनीय है, परन्तु समस्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज हैं जिन्हें प्रस्तुत प्रकरण में सही निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु पढा जाना न्यायहित में उचित होगा ।

19. हमने दोनों पत्रावलियों का आधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादीगण किशोरी लाल एवं छोटूलाल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 प्रदर्श–1 संलग्न है जिसके अनुसार ललिता बाई पुत्री हीरालाल के नाम किता 07 रकबा 8.83 हैक्टर भूमि दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 2885 रकबा 2.04 हैक्टर शामिल है । नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–2 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2885 के गत खसरा नम्बर 1161 से 1168 तथा इनके साबिक खसरा नम्बर 813 मिन होना अंकित है, नकल जमाबन्दी संवत् 2064–2067 प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार ललिता पुत्री हीरालाल महाजन खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है, लगान की रसीद दिनांक 13.03.2001 राजस्व विभाग प्रदर्श–4 संलग्न है जिसके अनुसार ललिता पुत्री हीरालाल के नाम जारी है परन्तु ढालबांच के आधार पर वसूलनीय राशि की रसीद जारी की जाती है जिस पर खसरा नम्बर अंकित नहीं होने से ढालबांच के अभाव में किस खसरा नम्बर की रसीद है यह स्पष्ट करना मुश्किल है । मांग पत्र 1985 चम्बल परियोजना बाईं नहर का आदेश लेख जो छोटूलाल, किशोर पुत्र मथुरा के नाम जारी है प्रदर्श–5 संलग्न है, रसीद लगान सन् 1984 राजस्व विभाग प्रदर्श–6 संलग्न है जो किशोरी एवं छोटूलाल के नाम से जारी है परन्तु इस पर खसरा नम्बर स्पष्ट अंकित नहीं हैं तथा कॉलम संख्या 02 में ढालबांच की कम संख्या अंकित है, परन्तु ढालबांच में क्या खाता या खसरा नम्बर अंकित थे यह स्पष्ट नहीं है । रसीद लगान सन् 1992 राजस्व विभाग प्रदर्श–7 संलग्न है जिसमें ललिता व किशोरी का नाम प्रतीत होता है परन्तु यह स्पष्टतया पठनीय नहीं है । लगान रसीद राजस्व विभाग प्रदर्श– 8 संलग्न है जिसमें संभवतः नाम ललिता अंकन है परन्तु स्पष्टता से पठनीय नहीं है । रसीद लगान सन् 1993 राजस्व विभाग प्रदर्श–9 संलग्न है जो ललिता के नाम से है । रसीद लगान सन् 2000 राजस्व विभाग प्रदर्श–10 संलग्न है जिसमें ललिता पुत्री हीरालाल के नाम से है । सिंचाई विभाग की रसीद सन् 1981–82 प्रदर्श–11 संलग्न है जो छोटूलाल, किशोर पिता मथुरा मीणा के नाम का है इसमें खसरा नम्बर 813 अंकित है । सिंचाई विभाग की रसीद सन् 1984–85 प्रदर्श–12 संलग्न है जिसमें छोटूलाल, किशोर पिता मथुरा मीणा के नाम से जारी है इसमें खसरा नम्बर 591, 836, 616, 848, 676 व 813 अंकित है । सिंचाई विभाग की रसीद सन् 1986–87 प्रदर्श–13 संलग्न है जिसमें मथुरा पुत्र गोमदा मीणा के नाम से जिसमें खसरा नम्बर 542, 836, 556, 848, 618 व 813 अंकित हैं । सिंचाई विभाग की रसीद सन् 1981 प्रदर्श– 14

संलग्न है जो मथुरा पुत्र गोमदा मीणा के नाम से है । सिंचाई विभाग की रसीद सन् 1989–90 प्रदर्श–15 संलग्न है जिसमें खसरा नम्बर 631, 836, 634, 848, 723 व 813 अंकित है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग सवंत् 2022 से 2041 प्रदर्श– 16 संलग्न है जिसके कॉलम संख्या 05 में मोहन लाल वल्द हीरालाल कौम महाजन अंकित है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 प्रदर्श– 17 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2885 रकबा 2.04 हैक्टर भूमि पर किशोरी लाल आत्मज मथरा लाल व छोटूलाल आत्मज मथुरा लाल हिस्सा बराबर के नाम अंकित है, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2071 प्रदर्श– 18 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2885 रकबा 2.04 हैक्टर भूमि पर किशोरी लाल आत्मज मथरा लाल व छोटूलाल आत्मज मथुरा लाल हिस्सा बराबर के नाम अंकित है, लगान रसीद दिनांक 06.04.2010 रसीद प्रदर्श– 19 है जो कि ललिता पुत्री हीरालाल के नाम से जारी है, कॉलम नम्बर 02 में ढालबांच की कम संख्या 559/2067 अंकित है। सिंचाई विभाग की रसीद दिनांक 16.04.2010 प्रदर्श– 20 है जो ललिता पुत्री हीरालाल महाजन के नाम से जारी है, सचिव जल प्रबन्ध समिति द्वारा जारी असल नोड्यूज सन् 1990 प्रदर्श– 21 संलग्न है ।

20. इसके अलावा प्रतिवादी ललिता बाई की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन जिला बून्दी के निर्णय दिनांक 19.11.2015 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–ए–1 है, थानाधिकारी गेण्डोली जिला बून्दी में पेश इस्तगासा प्रदर्श–ए–2, रसीद लगान राजस्व विभाग प्रदर्श–ए–3, ए–4, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2076 प्रदर्श–ए–5 संलग्न है जिसके अनुसार खातेदार के नाम में ललिता पुत्री हीरालाल का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है । राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर बीज उत्पादक प्रक्षेत्र विवरणिका प्रदर्श–ए–6, नकल जमाबन्दी संवत् 2068–2071 प्रदर्श–ए–7, फोटो प्रति मुख्तारनामा–आम प्रदर्श–ए–8, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था क्षेत्र निरीक्षण दिनांक 08.09.2016 एवं 29.09.2016 प्रदर्श–ए– 9 एंव ए– 10, न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2019 प्रदर्श– ए–11, अपंजीकृत लिखित तहरीर प्रदर्श– ए–12, न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में प्रस्तुत रिट पीटीशन संख्या 13811/2019 प्रदर्श– ए–13 संलग्न हैं ।

21. वादी की ओर से बयान किशोरीलाल पीडब्ल्यू–1, छोटूलाल पीडब्ल्यू–2, किशनलाल पीडब्ल्यू–3, कजोडलाल पीडब्ल्यू–4, धन्ना लाल पीडब्ल्यू–5, जमना लाल पीडब्ल्यू–6, मोहन लाल पीडब्ल्यू–7, भैरूलाल पीडब्ल्यू–8, ओमप्रकाश पीडब्ल्यू–9, छीतरलाल पीडब्ल्यू–10, जगन्नाथ पीडब्ल्यू 11 कराये गये हैं ।

22. प्रतिवादी ललिता बाई की ओर से बयान ललिता बाई डीडब्ल्यू–1, फतेहचन्द डीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

23. वादीगण किशोरी लाल एवं छोटूलाल ने परीक्षण न्यायालय में धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना (Adverse Possession) के आधार पर हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया । विद्वान् अभिभाषक वादी अपीलान्ट का कथन

है कि निर्णय तनकीवार सही रूप से नहीं किया गया । विद्वान् अभिभाषक प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (13) 2006 पेज 452 का प्रतिपादन करते हुए कथन किया कि अपीलीय स्तर पर जब सभी साक्ष्य एवं दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं तो तनकीवार विवेचना करते हुए निर्णय अपील स्तर पर किया जाना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 08 तनकी विरचित की है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये तनकीवार विवेचन व निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा हमारे समक्ष प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में तनकीवार विवेचन व विश्लेषण किया जाना उचित होगा तथा तनकीवार विवेचन व विश्लेषण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित होगा ।

1- तनकी नम्बर 01 :– आया कि विवादित कृषि भूमि पर सन् 1971 के आसपास से वादीगण के निरन्तर कब्जे काश्त में होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार बन चुके हैं :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण अपीलान्ट किशोरी लाल एवं छोटूलाल पर है । इस तनकी के विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय ने मुख्यतः सिंचाई शुल्क मांगपत्र मुख्यतः प्रदर्श–7 लगायत 15 व प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे की चरण संख्या 05 में वादीगण का विवादित भूमि के सम्बन्ध में कब्जा स्वीकार होना अंकित किया है । इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने सन् 1971 से सन् 2017 एवं वाद के निर्णय तक वाद वर्णित भूमि से प्रतिवादी द्वारा वादी को बेदखल किये जाने की कोई कार्यवाही पेश नहीं करने को भी एडवर्स पजेशन का आधार माना है । इसी विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अंकित किया गया है कि "दिनांक 05.02.2010 को वादीगण के द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने पर एवं वाद के निर्णय तक प्रतिवादीगण के द्वारा बेदखली की कार्यवाही पेश नहीं करना यह स्पष्ट करता है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण का वाद वर्णित भूमि पर एडवर्स पजेशन होना स्वीकार किया जाना साबित होता है ।" आगे तनकी का विवेचन करते हुए अंकित किया है कि, "उक्त वादपत्र प्रस्तुत होने के बावजूद प्रतिवादीगण ने मियाद अधिनियम में वर्णित अवधि किये जाने भूमि से बेदखली की कार्यवाही 12 वर्ष गुजर जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की ।" इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 की उपधारा 03 के तहत वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण के निहित अधिकार समाप्त होने का निष्कर्ष दिया है । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संदर्भित संलग्न प्रदर्शों, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों का तथा एडवर्स पजेशन के सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का सम्मानपूर्वक पुनः अवलोकन किया गया । विद्वान् अभिभाषक प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ललिता बाई द्वारा प्रस्तुत माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत सीसीसी 2006 (1) पेज 198 में अभिमत दिया है कि – Adverse possession– A person pleading adverse possession has no equities in his favour -As he is trying to defeat the rights of the true owner, it is for him to clearly plead and establish all facts necessary to establish his adverse possession. (Limitation Act, 1963, Arts.65,65).(para 30)

Adverse possession- Proof-A person who claims adverse possession should show: (a) on what date he came into possession, (b) what was the nature of his possession, (c) whether the factum of possession was known to the other party, (d) how long his possession has continued, and (e) his possession was open and undisturbed. (Limitation Act, 1963, Arts.65,65). (para 30)

Adverse possession-Limitation- Starting point-Limitation does not commence from the date when the right of ownership arises to the plaintiff but commences from the date defendant's possession becomes adverse. (Limitation Act, 1963, Arts.65,65). (para 28)

इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत सीपीसी 2016 (4) पेज 001 के पैरा नम्बर 22 में अंकित किया है – (i) Adverse possession- Mere possession for long time does not convert permissible posswession into adverse possession.

आरआरडी 2011 पेज 508 में खातेदारी समाप्त होने के संदर्भ में अभिमत दिया है कि – Whether extinguishment of tenancy right under section 6391)(iv) of the Act of 1955 creates khatedari right in trespasser on the basis of adverse possession?

Answer:- In the opinion of this bench extinguishment of tenancy rights create no khatedari rights in the trespasser on the basis of adverse possession. माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच ने उक्त न्यायिक दृष्टांत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को नकार दिया है ।

प्रस्तुत प्रकरण में एक तरफ वादीगण अपीलान्ट स्वयं द्वारा भूमि कय किये जाने का कथन कर रहे हैं परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त भूमि वादीगण द्वारा कभी कय किया जाना साबित हो । वाद के पैरा संख्या 03 में वादीगण ने कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीगण से पैसे लेकर अपना स्वत्व वादीगण के पक्ष में छोड दिया है । तो क्या इसका अर्थ प्रारम्भ से सहमति से कब्जा देना (परमिजिव पजेशन) था ? तो फिर यह प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession) कब हुआ ? वादी अपीलान्ट के कथनों में विरोधाभाष है । हम विद्वान् अभिभाषक प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत हैं तथा उपुर्यक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रतिपादित किया है कि वादीगण को यह साबित करना होगा कि वे एडवर्स पजेशन में किस दिन व किस वर्ष से एडवर्स पजेशन में आये । सिविल कोर्ट केस 2022 (1) (राज0) पेज 563 में माननीय

राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है – (ii) Adverse possession- Plantiff neither by way of documentary and/or oral evidence has even claimed that he was in possession of property as owner and has not even disclosed point of time from which his possession , became adverse to true owner- Entire emphasis of plaintiff in plaint has been his being in possession – Merely being in possession of a property for a long time by itself cannot create adverse possession – Plea of adverse possession rightly rejected. ऊपर वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एडवर्स पजेशन में आने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति एडवर्स पजेशन क्लेम करता है उसे यह साबित करना होगा कि वह कब से लगातार खुले रूप से बिना किसी बाधा के एडवर्स पजेशन में है । उक्त तनकी के विवेचन में सिंचाई शुल्क मांग पत्रों के आधार पर पहले तो सन् 1981 से वादीगण का कब्जा विवादित भूमि पर माना है परन्तु आगे किये विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर सन् 1971 से वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा माना है, उस आधार को अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट नहीं किया । केवल वादीगण के कथन के आधार पर सन् 1971 से कब्जा मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है । सन् 1971 से वादीगण ने स्वयं का कब्जा बताया है परन्तु हमारे समक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेज /साक्ष्य नहीं है जिससे सन् 1971 से वादीगण का लगातार कब्जा साबित होता हो । तनकी नम्बर 01 के विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी अंकित किया है कि प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे की चरण संख्या 05 में वादीगण का वाद–वर्णित भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम की चरण संख्या 05 इस प्रकार है – "उक्त भूमि में प्रतिवादी कम 1 खेती करवाती है वादीगण ने प्रतिवादी कम 1 की सहमति से खेती करते थे प्रतिवादिनी के विरूद्ध वादीगण का एडवर्स पजेशन कभी नहीं रहा है । वादीगण खातेदार बनने के पात्र नहीं हैं ।" इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे की चरण संख्या 05 में न तो वादीगण का कब्जा माना है और न ही एडवर्स पजेशन माना है । सहमति से खेती करवाने का तात्पर्य यह नहीं निकाला जा सकता कि प्रतिवादी ने वादी का कब्जा स्वयं मान लिया । कृषक स्वयं कृषि सकते हैं या आवश्यकतानुसर किसी से कृषि कार्य करवा भी सकते हैं । जहॉ तक सिंचाई विभाग की रसीदों, एफआईआर पुलिस थाना गैण्डोली को कब्जे के संदर्भ में साक्ष्य माना जावे तो हमारे समक्ष अधीनस्थ न्यायालय में एवं आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत प्रतिवादी अपीलान्ट ललिता बाई ने भी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन जिला बून्दी के निर्णय दिनांक 19.11.2015 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– ए–1 है, थानाधिकारी गेण्डोली जिला बून्दी में पेश इस्तगासा प्रदर्श–ए–2, रसीद सिचांई विभाग प्रदर्श–ए–3, ए–4, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2076 प्रदर्श–ए–5 संलग्न है जिसके अनुसार खातेदार के नाम में ललिता पुत्री हीरालाल का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है । राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर बीज उत्पादक प्रक्षेत्र विवरणिका प्रदर्श–ए–6, नकल जमाबन्दी संवत् 2068–2071 प्रदर्श–ए–7, फोटो प्रति मुख्तारनामा–आम प्रदर्श–ए–8, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था क्षेत्र निरीक्षण दिनांक 08.09.2016 प्रदर्श–ए–9 एंव ए– 10, न्यायालय राजस्व

मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2019 प्रदर्श– ए–11, अपंजीकृत लिखित तहरीर प्रदर्श– ए–12, न्याालय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में प्रस्तुत रिट पीटीशन संख्या 13811/2019 प्रदर्श– ए–13 पेश किये हैं । इसके अलावा न्यायालय हाजा में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ असल पास–बुक खातेदारी, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2064–2067, 2060–2062, 2060–63 की प्रमाणित प्रतियॉ, रसीद नकल सिंचाई, 22.05.2022 एवं 23.05.2022, नकल सिंचाई खतौनी संवत् 2072 की प्रमाणित प्रति, नकल सिंचाई खतौनी संवत् 2073, 2074 लगायत 2077, असल नोड्यूज सिंचाई विभाग, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बून्दी, आदेश पुलिस इमदाद दिनांक 11.06.2020, फर्द इख्लाफ कैचमेंट वर्ष 2003–04 पेश किये हैं । प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, असल पास–बुक, भूमि पुनर्ग्रहण हेतु नोटिस, माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ की फाइडिंग एवं जमाबन्दियों से स्पष्ट है कि वादीगण का लगातार कभी कब्जा नहीं रहा है। केवल सिंचाई विभाग की कुछ रसीदों के आधार पर वादीगण का कब्जा नहीं माना जा सकता । अगर यही तर्क माना जाये तो ऐसी ही रसीदें प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ललिता ने भी सिंचाई विभाग की प्रस्तुत की हैं । तो क्या यह माना जाए कि अलग–अलग वर्ष में अलग–अलग पक्षकार का कब्जा रहा है ? राजस्व वाद में दस्तावेजी साक्ष्य ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं प्रतिवादी ललिता बाई के नाम प्रारम्भ से ही जमाबन्दी में अंकन है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 की उपधारा 03 के तहत प्रतिवादीगण के वाद–वर्णित भूमि पर खातेदारी अधिकार समाप्त माने हैं । परन्तु हम इससे सहमत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय की यह फाइडिंग भी तर्क से परे है कि प्रतिवादी ने वादीगण द्वारा सन् 2010 में विवादित भूमि के सम्बन्ध में वादपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् 12 वर्ष तक बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं की है । जहॉ तक दस्तावेजी साक्ष्यों का प्रश्न है तो राजस्व विभाग की लगान रसीद, राजस्व विभाग की जमाबन्दी तथा केचमेंट विभाग का पुनःग्रहण नोटिस व जमाबन्दी ज्यादा विश्वसनीय है तथा उन्हें कब्जे के संदर्भ में ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए न कि मात्र सिंचाई विभाग की रसीद को । हमारे समक्ष वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रदर्श–दस्तावेज तथा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों तथा प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेज व आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों का यदि विवेचन किया जाए तो राजस्व विभाग के अधिक दस्तावेज प्रतिवादी अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट ललिता बाई (अपील संख्या 2022/100 में अपीलान्ट) के पक्ष में हैं । सबसे महत्वपूर्ण राजस्व विभाग की जमाबन्दी जो प्रारम्भ से ललिता बाई के पक्ष में रही है । कृषि पास–बुक दिनांक 16.05.1972 खातेदारी, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2060 से 2062 एवं संवत् 2064 से 2067 हैं । अपने जवाबदावे मय काउन्टर क्लेम में भी प्रतिवादी अपीलान्ट ललिता बाई ने स्वयं का कब्जा होने का कथन किया है तथा अपने काउन्टर क्लेम में वादीगण किशोरी लाल व छोटूलाल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहती है । अतः इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित न्यायिक दृष्टांतों एवं माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांतों एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार वादीगण का एडवर्स पजेशन विवादित भूमि पर साबित नहीं होता है और न ही एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं । वादीगण किशोरी लाल एवं छोटूलाल ने भी ऐसे कोई ठोस साक्ष्य व तर्क प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे वादीगण की अपील स्वीकार की जावे । तनकी नम्बर 01 में हम अधीनस्थ न्यायालय

की इस फाइडिंग से सहमत नहीं है कि वादीगण एडवर्स पजेशन साबित करने में सफल रहे हैं । वस्तुतः हमारे विनम्र मत में तथ्यों, साक्ष्यों एवं न्यायिक दृष्टांतों के विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर वादीगण का एडवर्स पजेशन साबित नहीं होता है । जहॉ तक धारा 63 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की जो फाइडिंग है वह भी सही नहीं है क्योंकि प्रतिवादी ललिता ने कभी भी विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा नही माना है । वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य भी यह सिद्ध नहीं करते हैं कि वादी कब से प्रतिकूल कब्जे में आये तथा तब से लगातार खुले रूप से कब्जे में रहे । कब्जे सम्बन्धी दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी ललिता बाई ने भी प्रस्तुत किये हैं । जब वादीगण का एडवर्स पजेशन स्पष्टतः सिद्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में धारा 63 के प्रावधानों के विवेचन का भी कोई और औचित्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी में वादीगण का प्रतिकूल कब्जा मानने में त्रुटि की है । यहॉ इस विधिक स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए कि जब प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई अधिकार ही सृजित नहीं होते हैं तो वादीगण का पूरा वाद ही स्वीकार योग्य नहीं है । क्या भूमि व उस पर सृजित अधिकारों को अधरझूल (इन मिडियो) में रखा जा सकता है ? ऊपर किये गये विवेचन व विश्लेषण तथा न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश से यह सिद्ध है कि वादीगण किशोरी लाल व छोटूलाल न तो विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा सिद्ध कर पाए तथा न ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई अनुतोष देय है । ऊपर किये गये विवेचन के आधार पर यह तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है ।

2. तनकी नम्बर 02 :– आया विवादित भूमि को वादीगण ने पडत से आबाद किया है । प्रतिवादी कम 01 ने वादीगण से पैसे लेकर स्वत्व वादीगण के पक्ष में छोड दिया प्रतिवादी के कोई अधिकार शेष नहीं रहे हैं :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी का विवेचन किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विवेचन एवं निष्कर्ष से सहमत हैं । यह तनकी भी वादी के विरूद्ध तय की जाती है ।

3. तनकी नम्बर 03 व 04 :– आया वादीगण 12 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर काश्त करने से एडवर्स कब्जे के आधार पर कानूनन खातेदार बन चुके हैं :– तनकी नम्बर 04 :– आया विवादित कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की मियाद 12 वर्ष जो निकल चुकी है । वादी कानूनन खातेदार बन चुका है । उक्त दोनों तनकियों को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था । अधीनस्थ न्यायालय ने उपर्युक्त दोनों तनकियों का विश्लेषण व विवेचन तनकी नम्बर 01 में होना अंकित किया है तथा इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है । तनकी नम्बर 03 तनकी नम्बर 01 में किये विश्लेषणा के आधार पर तनकी नम्बर 03 विरूद्ध वादीगण तय की जाती है । हमारे समक्ष ऐसे कोई ठोस साक्ष्य एवं दस्तावेज एवं विधिक प्रावधान नहीं है जिससे वादी का एडवर्स पजेशन सिद्ध होता हो तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी कानूनन खातेदार घोषित हो सके । तनकी नम्बर 01 में हमारे द्वारा किये गये विश्लेषण से वादी का न तो एडवर्स पजेशन साबित है और न ही वादीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं। अतः तनकी नम्बर 04 भी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है ।

4. तनकी नम्बर 05 :– आया विवादित भूमि प्रतिवादिनी को विभाजन में प्राप्त हुई । प्रतिवादिनी खेती करवाती आई है एडवर्स पजेशन नहीं होता । वाद खारिज योग्य है :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी ललिता बाई पर है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को प्रतिवादी ललिता के विरूद्ध तय किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी के विवेचन व विश्लेषण में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है । जैसा कि तनकी नम्बर 01 में विश्लेषण किया गया है कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में कभी भी वादीगण का एडवर्स पजेशन नहीं माना है बल्कि स्वयं का कब्जा होने का कथन किया है । प्रतिवादिनी खेती करवाती आई है या नहीं इसका कोई ठोस साक्ष्य हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है कि, "उक्त वादपत्र प्रस्तुत होने के बावजूद प्रतिवादीगण ने मियाद अधिनियम में वर्णित अवधि किये जाने भूमि से बेदखल की कार्यवाही 12 वर्ष गुजर जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की है । इस प्रकार अब प्रतिवादीगण का वाद वर्णित भूम से वादीगण को बेदखल करने की कार्यवाही पेश करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है।" यहॉ पर अधीनस्थ न्यायालय के विवेचन में विरोधाभास है, क्या अधीनस्थ न्यायालय सन् 1971 से एडवर्स पजेशन मान रहा है या सन् 2010 में वाद प्रस्तुत होने के उपरान्त बेदखली कार्यवाही नहीं करने के कारण एडवर्स पजेशन मान रहे हैं ? कब्जे के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग व अन्य कुछ दस्तावेजों व अन्य कुछ रसीदें वादीगण द्वारा जो प्रस्तुत की गई हैं ।इसी प्रकार प्रतिवादी ललिता बाई ने स्वयं के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय में कुछ रसीदें सिंचाई विभाग तथा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ असल पास–बुक खातेदारी, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2064–2067, 2060–2062, 2060–63 की प्रमाणित प्रतियॉ, रसीद नकल सिंचाई, 22.05.2022 एवं 23.05.2022, नकल सिंचाई खतौनी संवत् 2072 की प्रमाणित प्रति, नकल सिंचाई खतौनी संवत् 2073, 2074 लगायत 2077, असल नोड्यूज सिंचाई विभाग, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बून्दी, आदेश पुलिस इमदाद दिनांक 11.06.2020, फर्द इंखलाफ कैचमेंट वर्ष 2003–04 पेश किये हैं । जब प्रतिवादी ललिता विवादित भूमि पर प्रारम्भ से रिकॉर्डेड खातेदार है तथा उसने स्वयं के पक्ष में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं तो ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रतिवादी ललिता बाई के ही माने जाएगें । इस आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं भी वादी का वाद खारिज किया है । उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नम्बर 05 आंशिक रूप से प्रतिवादी ललिता बाई के पक्ष में तय की जाती है ।

5. तनकी नम्बर 06 एवं 07 :– आया प्रतिवादी कम 01 ने पैसे लेकर अपना स्वत्व वादीगण के पक्ष में कभी नहीं छोडा बल्कि सहमति से खेती कर पाती प्रतिवादी कम 1 को दिया करते थे । वादीगण का अधिकार नहीं बनता है । वाद खारिज योग्य है । तनकी नम्बर 07 :– आया विवादित भूमि पर वादी किशोरी लाल , छोटूलाल को प्रतिवादी के कृर्षि कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें । स्थायी निषेधाज्ञा से वादीगण को पाबन्द किया जावे । उक्त दोनों तनकियों को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । उक्त दोनों तनकियॉ अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के विरूद्ध तय की हैं । तनकी नम्बर 06 को प्रतिवादी के विरूद्ध तय करने का मुख्य आधार यह रहा है कि प्रतिवादी ने विवादित भूमि पर सहमति से काश्त करने का कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

किया है । तनकी नम्बर 07 कब्जे के अभाव में प्रतिवादी के विरूद्ध तय की गई है । तनकी नम्बर 06 के संदर्भ में यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि वादीगण ऐसे साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाये जिससे सिद्ध हो सके कि प्रतिवादी ने पैसे लेकर वादीगण के पक्ष में उक्त भूमि को छोडा हो । अतः उक्त तनकी का प्रारम्भिक भाग स्वयं सिद्ध है कि, आया प्रतिवादी कम 01 ने पैसे लेकर अपना स्वत्व वादीगण के पक्ष में कभी नहीं छोडा । वस्तुतः पैसे लेकर प्रतिवादी द्वारा अपना स्वत्व छोडना तो वादीगण द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए । जब पैसे लेकर कब्जा छोडने का कोई दस्तावेज या साक्ष्य ही नहीं है तो यह तर्क तो प्रतिवादी ललिताबाई के पक्ष में जाता है । जहॉ तक किसी अन्य से खेती करवाने का प्रश्न है तो खातेदार स्वयं अथवा आवश्यकतानुसार किसी और से अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करवा सकते हैं । जब वादीगण उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई ऐसे ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये जिससे यह सिद्ध हो कि वादी को विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हों तो ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद खारिज होने योग्य ही है । अतः तनकी नम्बर 06 के विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है । अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है । तनकी नम्बर 07 :– तनकी नम्बर 01 तथा तनकी नम्बर 02 में किये गये विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादीगण का न तो एडवर्स पजेशन सिद्ध है तथा न ही वादीगण को विवादित भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं । यहॉ पर यह विधिक प्रश्न भी है जब वादीगण माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में एडवर्स पजेशन के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त कर ही नहीं सकते तथा उसकी स्थिति एक अतिक्रमी की होगी तो ऐसी स्थिति में वादी का वाद मूल आधार ही विधि की मंशा अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है । प्रतिवादी ललिता बाई प्रारम्भ से ही विवादित भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार रही है तथा उसके विरूद्ध वादी का वाद भी सिद्ध नहीं हो रहा है । प्रदर्श– 20 भी सिंचाई विभाग की रसीद है जो दिनांक 16.04.2020 को ललिता D/O हीरालाल महाजन के नाम से जारी है । जहॉ तक प्रदर्श–21 नोड्यज सचिव जल प्रबन्ध समिति द्वारा जारी है । ऐसा ही नोड्यूज आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ललिता बाई ने (अपील संख्या 2022/100) पेश किया है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ललिता बाई द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–ए–3 लगान रसीद, प्रदर्श–ए–4 लगान रसीद प्रतिवादी ललिता के नाम से जारी है । प्रतिवादी अपीलान्ट ललिता बाई द्वारा अपनी अपील संख्या 2022/100 में प्रस्तुत कृषि पास–बुक दिनांक 16.05.1972 संलग्न है । हमारे समक्ष फर्द इख्तलाफ केचमेंट वर्ष 2003–04 की प्रस्तुत है जिसमें कॉलम संख्या 02 में स्पष्टः ललिता पुत्री हीरालाल खातेदार दर्ज है । इसी तरह भूमि पुनःग्रहण नोटिस यह वर्ष 2003 का ही है उसमे भी ललिता पुत्री हीरालाल मजकूर अंकित है जो भूमि विकास कार्य उपरान्त कब्जे के संदर्भ में दिया जाता है, उपर्युक्त केचमेंट के समय मौका स्थिति भी देखी जाती है, अतः उक्त दस्तावेज स्पष्टतः प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ललिता बाई (अपील संख्या 2022/100 में अपीलान्ट) के पक्ष में है। इसी तरह खसरा गिरदावरी संवत् 2064 से 2067 में ललिता पुत्री हीरालाल का नाम अंकित है । इसी तरह नकल खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) संवत् 2060–62, जिसमें किस खसरा नम्बर में फसल बोई गई उसमें भी स्पष्टतः कॉलम संख्या 05 में ललिता पुत्री हीरालाल का नाम अंकित है । जमाबन्दी (खतौनी) संवत् 2060 से 2063 के कॉलम संख्या 04 में काश्तकार का नाम ललिता पुत्री हीरालाल अंकित है । सिंचाई

विभाग राजस्थान खतौनी सन् 2015 से 2021 तक की पेश की है जिसके कॉलम नम्बर 02 व नम्बर 03 में स्पष्टतः ललिता D/O हीरालाल महाजन अंकित है । इसी तरह जल संशाधन विभाग की इसी वर्ष की नवीनतम रसीद दिनांक 22.05.2022 व 23.05.2022 में संवत् 2062 से संवत् 2066 तक की राशि जमा करवाने का अंकन है तथा उक्त रसीद विभाग द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ललिता बाई (अपील संख्या 2022/100 में अपीलान्ट) ललिता के नाम अंकित की गई है । दिनांक 11.06.2020 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा भी श्रीमती ललिता बाई को पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने का मूलपत्र एसएचओ, गैण्डोली को प्रेषित किया गया है । हम विद्वान् अभिभाषक प्रतिवादी अपीलान्ट (अपील संख्या 2022/100) के इस मत से सहमत हैं कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.2019 में फाइडिंग दी है कि वादी द्वारा जिस समयावधि में अपना कब्जा काश्त बताया जा रहा है उस समयावधि में खसरा गिरदावरी में कब्जेधारी का नाम अंकित किया जाता था परन्तु वादी अपीलान्ट (अपील संख्या 2022/99) द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । तनकी नम्बर 01 में विवेचन, उपर्युक्त साक्ष्यों के ध्यानपूर्वक अवलोकन व विवेचन से कब्जे के दस्तावेजी साक्ष्य पर्याप्त रूप से ललिता बाई के कब्जे का समर्थन करते हैं । ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य तथा न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में प्रतिवादी ललिता बाई द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य है । ललिता बाई प्रारम्भ से ही विवादित भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार है तथा वादीगण किशोरीलाल व छोटूलाल को विवादित भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में तनकी नम्बर 07 प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ललिता बाई(अपील संख्या 2022/100 में अपीलान्ट) के पक्ष में तय की जाती है ।

24. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील संख्या 2022/99 खारिज की जाती है । अपीलान्ट (ललिता बाई) की अपील संख्या 2022/100 स्वीकार की जाती है । वादीगण अपीलान्ट किशोरी लाल एवं छोटूलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 97/2015 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2022 खारिज किया जाता है । वादीगण (रेस्पोडेन्ट अपील संख्या 2022/100) किशोरी लाल एवं छोटूलाल को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 2885 रकबा 2.04 हैक्टर भूमि में विधिक खातेदार प्रतिवादी ललिता बाई (अपील संख्या 2022/100 में अपीलान्ट) के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं वादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

25. निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2022/99

1. किशोरी लाल पुत्र मथुरा लाल जाति मीणा आयु 75 वर्ष।
2. छोटू लाल पुत्र मथूरालाल जाति मीणा आयु 70 वर्ष निवासीगण झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।

——अपीलान्ट

बनाम

1. ललिता बाई पुत्री श्री हीरालाल जाति महाजन निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन।
3. प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक शाखा झालावाड़ रोड़, कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2022/100

1. ललिता बाई पुत्री श्री हीरालाल जाति महाजन निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

2. किशोरी लाल पुत्र मथुरा लाल जाति मीणा आयु 75 वर्ष।
3. छोटू लाल पुत्र मथूरालाल जाति मीणा आयु 70 वर्ष निवासीगण झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन।
5. प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक शाखा झालावाड़ रोड़, कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2022 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन, जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 97/2015

1. किशोरी लाल पुत्र मथुरा लाल जाति मीणा आयु 75 वर्ष निवासीगण झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।
2. छोटू लाल पुत्र मथूरालाल जाति मीणा आयु 70 वर्ष निवासीगण झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।

----वादी

बनाम

1. ललिता बाई पुत्री श्री हीरालाल जाति महाजन निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0 पाटन।
3. प्रबन्धक, एचडीएफसी बैंक शाखा झालावाड़ रोड़, कोटा ।

--प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त दोनों वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2022 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत वाद संख्या 97/2015 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2022 खारिज किया जाना उचित है । अतः अपील अपीलान्ट 2022/99 खारीज फरमाई जावे तथा अपील अपीलान्ट 2022/100 स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त दोनों अपीलें तारीख 23.12.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री अशोक गुप्ता, अपील संख्या 2022/99 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 2022/100 में रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से एवं अपील संख्या 2022/99 में श्री रविन्द्र खण्डेवला रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से एवं अपील संख्या 2022/100 में अपीलान्ट की ओर से उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की अपील संख्या 2022/99 खारिज की जाती है । अपीलान्ट (ललिता बाई) की अपील संख्या 2022/100 स्वीकार की जाती है । वादीगण अपीलान्ट किशोरी लाल एवं छोटूलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 97/2015 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2022 खारिज किया जाता है । वादीगण (रेस्पोडेन्ट अपील संख्या 2022/100) किशोरी लाल एवं छोटूलाल को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 2885 रकबा 2.04 हैक्टर भूमि में विधिक खातेदार प्रतिवादी ललिता बाई (अपील संख्या 2022/100 में अपीलान्ट) के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं वादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 23.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा